बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र06–रा0का0II–02/2013 7530 खाद्य, पटना/दिनांक 17.09.15

प्रेषक,

रमाशंकर प्र0 दफ्तुआर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में SECC डाटा के आधार पर चयनित अन्त्योदय परिवारों हेतु राशन कार्ड निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बढ़े हुए परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय पत्रांक 6632 दिनांक 19.08.2015 के द्वारा विस्तृत निदेश दिया गया है, जिसमे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पीला रंग का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है । इन परिवारों को भी नया राशन कार्ड दिया जाना अपेक्षित हो गया है क्योंकि अधिनियम लागू होने के पूर्व में निर्गत राशन कार्डों में अधिनियम की धारा 13(1) एवं (2) के अनुरूप गृहस्थी की वरिष्ठ महिला का नाम इस प्रयोजन के लिए मुखिया के रूप में नहीं है । अतः अन्त्योदय श्रेणी के गृहस्थियों को पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशन कार्डों को वापस अथवा रद्द कर उनके लिए नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाय । अन्त्योदय श्रेणी में नए राशन कार्ड मुद्रण पहले कराते हुए इसके वितरणोपरांत खाद्यान्न की आपूर्ति की जाय। यह कार्य यथाशीघ्र समय सीमा तय कर की जाय, तबतक अन्त्योदय श्रेणी की व्यवस्था पूर्ववत् रखी जाय ।

राशन कार्ड मुद्रण के समय यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन अन्त्योदय परिवारों का राशन कार्ड मुद्रण कराया जा रहा है, उसका नाम SECC आधारित आकड़ों के पात्र परिवारों की सूची में शामिल हो । उक्त डाटाबेस (SECC डाटाबेस) से अलग यदि कोई राशन कार्ड मुद्रण या वितरण कराया जाता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा उन्हीं SECC आकड़ों के आधार पर जिन्हें नेशनल सर्वर पर अपलोड किया गया है, खाद्यान्न का आवंटन किया गया है ।

राशन कार्ड मुद्रण में होने वाले व्यय हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अलग से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए कुल परिवारों की संख्या, राशन कार्ड की संख्या, मुद्रण का दर एवं इसमे आने वाले कुल व्यय के संबंध में विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

अनुरोध है कि उक्त निदेशों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में उक्त अन्त्योदय परिवारों को अविलंब राशन कार्ड का वितरण सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

17/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–रा0का0II–02/2013 7530 खाद्य, पटना/दिनांक 17.09.15

प्रतिलिपि – सभी उप निदेशक, खाद्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

17/9/15

सरकार के संयुक्त सचिव।